२९.१०.२०२१

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जयकिशोर उर्फ कल्लू वर्मा व धनीराम वर्मा उपस्थित हैं, अभियुक्त रमेश की हाजिरी माफी दी गयी, जिसे आज हेतु स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त चन्द्रशेखर वर्मा की मृत्यु होने की सूचना पूर्व में प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में सी०डब्लू०–१ कां० राजेश कुमार थाना जहानाबाद फौती आख्या के सत्यापनकर्ता का बयान अंकित किया जा चुका है, जिसके अनुसार चन्द्रशेखर की फौती रिपोर्ट को न्यायालय प्रेषित करना तथा मृत्यु का प्रमाणपत्र दिनांकित ०४.०३.२०१६ कागज संख्या–१७३ब के साथ अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने की पुष्टि की है। परिणामतः अभियुक्त चन्द्रशेखर के विरुद्ध प्रश्नगत फौजदारी वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर देते हुये समुचित आदेश पारित किया जाए, जिस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अगली तिथि पर साक्षी उपस्थित होने का आश्वासन लिखित रूप से दिया गया है। परिणामतः प्रार्थनापत्र बचाव पक्ष तद्नुसार निस्तारित करते हुये अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक १८.११.२०२१ नियत की जाती है।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।